न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट
जीसीएमएस नंबर 2023/159
मैन्युअल नंबर 57/2023

मुकदमा नंबर :—

रजु दिनांकः :— 14.09.2023

1. जगदीश
2. सीताराम

पिसरान श्योनारायण जाति बैरागी निवासी निर्झरना तह0 निर्झरना जिला दौसा राज0

3. कन्हैयालाल
4. प्रकाशचन्द

पिसरान बुद्धाराम जाति महावर निवासी निर्झरना तह0 निर्झरना जिला दौसा राज0

5. बजरंगलाल
6. सीताराम
7. देवकिशन

पिसरान सूरजमल जाति ब्राम्हण निवासी निर्झरना तह0 निर्झरना जिला दाक्सा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तह0 लालसोट जिला दौसा
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार निर्झरना तह0 निर्झरना जिला दौसा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 विरुद्ध आवंटन कमेटी के निर्णय दिनांक 23.07.1958

उपस्थितः— 01. प्रार्थीगण की ओर से :— अधिवक्ता श्री एच.एन.माठा
02. अप्रार्थी सं0 1 की ओर से :— पैरोकार सरकार
03. अप्रार्थी सं0 2 की ओर से :— पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 30.06.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 विरुद्ध आवंटन कमेटी के निर्णय दिनांक 23.07.1958 इस आशय का पेश किया गया है कि भू आवंटन सलाहकार समिति लालसोट द्वारा दिनांक 23.07.1958 को ग्राम निर्झरना के ख0नं0 307 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा का भू आवंटन सुवालाल पुत्र चन्नीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम निर्झरना के हक में कर दिया। तहसीलदार लालसोट का आदेश दिनांक 23.07.1958 बाबत आवंटन खसरा नम्बर 307 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा वाकै ग्राम निर्झरना विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। प्रार्थीगण ने कथन किए है कि आवंटन

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

दिनांक 23.07.1958 बाबत न तो खाली भूमि की कोई सूची तैयार की गई न ही आवंटन हेतु कोई अधिसूचना जारी की गई। आवंटी द्वारा भूमि ख0नं0 304 रकबा 4 बीघा बाबत् आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था एवं हल्का पटवारी द्वारा भी ख0नं0 304 में से ही 4 बीघा भूमि आवंटन किये जाने की रिपोर्ट पेश की थी एवं आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 23.07.1958 को ख0नं0 304 में से ही 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था जबकि ख0नं0 304 में कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा नहीं था परंतु तत्कालीन तहसीलदार लालसोट द्वारा गलत व अवैध तरीके से बिना आवंटन आदेश को देखे प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि ख0नं0 307 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा वाकै ग्राम निर्झरना का आवंटन आदेश जारी कर दिया जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा था एवं आज भी प्रार्थीगण ही काबिज है। इस प्रकार कथन करते हुए प्रार्थीगण ने प्रश्नगत आवंटन निरस्तनीय करार दिया है।

प्रार्थीगण ने आगे अभिवचन किए है कि ख0नं0 307 वाकै ग्राम निर्झरना के वर्तमान ख0नं0 124 हो गये है। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण संख्या 854 वाकै ग्राम निर्झरना जो ख0नं0 124 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा वाकै ग्राम निर्झरना आवंटी सुवालाल पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम निर्झरना के वारिसान की गैर खातेदारी में भरा हुआ था, को खातेदारी में दर्ज करने के लिए भरा, जिसको तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 09.06.2000 को आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने के कारण निरस्त कर 14(4) का प्रकरण बनाकर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित फरमाया था एवं नामान्तरण संख्या 491 वाकै ग्राम निर्झरना गैर खातेदारी से खातेदारी का पूर्व में भी दिनांक 02.11.1988 को खारिज हो चुका था। जिसका नोट जमाबंदी में लगा हुआ है। प्रार्थीगण का कहना है कि ना तो आवंटन कमेटी द्वारा ख0नं0 307 हाल ख0नं0 124 वाकै ग्राम निर्झरना का आवंटन किया गया एवं नाही आवंटी द्वारा उक्त आवंटन की शर्तो की पालना की गई। आवंटी व आवंटी के वारिसान का कभी भी कब्जा उक्त आवंटित भूमि पर नहीं रहा है तथा ना ही उक्त भूमि पर कानूनन आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते थे। इस प्रकार कथन करते हुए प्रार्थीगण द्वारा आवंटन कमेटी के निर्णय दिनांक 23.07.1958 एवं तत्कालीन तहसीलदार लालसोट के आदेश बाबत् भूमि ख0नं0 307 हाल ख0नं0 124 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा वाकै ग्राम निर्झरना निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं बहस पैरोकार सरकार सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण द्वारा आवंटन कमेटी के निर्णय दिनांक 23.07.1958 एवं तत्कालीन तहसीलदार लालसोट के आदेश बाबत् भूमि ख0नं0 307 हाल ख0नं0 124 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा वाकै ग्राम निर्झरना निरस्त फरमाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

प्रार्थीगण सीताराम पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी दुर्ग (छत्तीसगढ) वगै0 की ओर से दिनांक 18.06.2025 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने व प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार अप्रार्थी जोडे जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के साथ न तो वकालतनामा पेश किया गया न ही प्रार्थीगण की ओर से कोई पक्षकार उपस्थित हुआ अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर गौर फरमाया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन कमेटी का प्रश्नगत निर्णय दिनांक 23.07.1958 एवं तत्कालीन तहसीलदार लालसोट का आदेश बाबत् भूमि ख0नं0 307 हाल ख0नं0 124 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा वाकै ग्राम निर्झरना निरस्त किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.06.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)